भारत सरकार
खान मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2499 #
दिनांक 10.08.2026 को उत्तर देने के लिए

नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों का परिचालन

2499. # श्री मिथलेश कुमारः
श्रीमती माया नारोलियाः

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देशभर में नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों के परिचालन में कितनी प्रगति हुई है, और उनमें नीलाम किए गए ऐसे ब्लॉकों की संख्या कितनी है जहां उत्पादन आरंभ हो चुका है;
(ख) प्रमुख और महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने में इन परिचालित खनिज ब्लॉकों का योगदान कितना है;
(ग) नियामक सुधारों, वैधानिक मंजूरी और बुनियादी ढांचे के समर्थन के माध्यम से नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों के तेजी से परिचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और
(घ) खनन क्षेत्र में खनिज सुरक्षा, निवेश और रोज़गार सृजन पर इन पहलों का अपेक्षित प्रभाव क्या है?

उत्तर

कोयला और खान राज्य मंत्री
(श्री सतीश चंद्र दुबे)

(क) और (ख): 2015 में नीलामी व्यवस्था की शुरूआत के बाद से, 458 खनन पट्टा (एमएल) ब्लॉक और 262 समग्र लाइसेंस (सीएल) ब्लॉक सहित 720 खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की जा चुकी है। एमएल ब्लॉकों के संबंध में, 117 ब्लॉकों के लिए पट्टा विलेख निष्पादित किए गए हैं, जिनमें से 104 ब्लॉकों में खनिज उत्पादन शुरू हो गया है। सीएल ब्लॉकों के संबंध में, 129 ब्लॉकों में लाइसेंस निष्पादित किए गए हैं और उन सभी में गवेषण शुरू हो गया है। इसके अलावा, 1 ब्लॉक को सीएल से एमएल में अपग्रेड किया गया है और इसमें खनिज उत्पादन शुरू कर दिया गया है। इन खनिज ब्लॉकों के प्रचालन से इस्पात, सीमेंट

और एल्युमिनियम आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ी है और लौह अयस्क, चूना पत्थर, मैंगनीज अयस्क और बॉक्साइट जैसे प्रमुख खनिजों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने में योगदान मिल रहा है।

(ग) और (घ): सरकार ने घरेलू खनिज उत्पादन बढ़ाने, खनिज सुरक्षा को सुदृढ़ करने और नियामक सुधारों, समन्वित निगरानी, त्वरित वैधानिक मंजूरी और डिजिटल हस्तक्षेप के माध्यम से रोजगार सृजन के लिए नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों के त्वरित प्रचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए कई उपाय किए हैं। कुछ प्रमुख उपाय निम्नलिखित हैं:

i. खनिज (नीलामी) नियम, 2015 में मध्यवर्ती समय-सीमा, अधिमानित बोलीदाता की स्वचालित घोषणा और आशय पत्र (एलओआई) का स्वचालित निर्गमन, बोलीदाताओं और राज्य सरकारों द्वारा होने वाली देरी के लिए जवाबदेही और शीघ्र प्रचालन हेतु वित्तीय प्रोत्साहन शुरु करने के लिए संशोधन किया गया है।

ii. नीलाम किए गए ब्लॉकों की निरंतर निगरानी के लिए खान मंत्रालय में एक समर्पित परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की स्थापना की गई है।

iii. खनिज ब्लॉक के जीवन चक्र की नीलामी से लेकर प्रचालन तक एंड-टू-एंड ट्रैकिंग और निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में यूनिफाइड माइनिंग पोर्टल (यूएमपी) का विकास किया गया है।

iv. सचिव (खान) की अध्यक्षता में खनिज ब्लॉकों की नीलामी और प्रचालन की प्रगति की निगरानी करने तथा सामने आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

v. माननीय केंद्रीय खान मंत्री और सचिव (खान) की अध्यक्षता में खनन, वन, पर्यावरण, राजस्व विभागों के संबंधित अधिकारियों और संबंधित बोलीदाताओं के साथ राज्य-विशिष्ट की समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

vi. प्रमुख खनिज राज्यों द्वारा नीलामी प्रक्रिया से पूर्व भूमि निर्धारण संबंधी मुद्दों को हल करने, बोलीदाताओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने और शीघ्र प्रचालन को सुगम बनाने के लिए पूर्व-नीलामी समितियों का गठन किया गया है।

vii. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में नीलाम की गई खानों के प्रचालन में आने वाली बाधाओं को दूर करने और उनके शीघ्र प्रचालन के लिए प्रमुख खनिज राज्यों द्वारा राज्य-स्तरीय समन्वय समितियों का गठन किया गया है।

viii. 'राज्यों को पूंजीगत निवेश के लिए विशेष सहायता योजना' (एस ए एस सी आई) के तहत, वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य सरकारों को प्रमुख खनिज ब्लॉकों की नीलामी की गति तेज करने और खानों के शीघ्र प्रचालन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं।

ix. मौजूदा खनन पट्टों में नए खनिजों को शामिल करने का प्रावधान, खनन पट्टा (एमएल)/समेकित अनुज्ञप्ति (सीएल) के लिए एकमुश्त क्षेत्र विस्तार, और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस बढ़ाने के लिए कैप्टिव खानों से खनिजों की बिक्री पर प्रतिबंध हटाने सहित विधायी और नीतिगत सुधार किए गए हैं।
